जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांकः– ज.वि.प्रा. / अति.मु.न.नि. / बी.पी.सी.(बीपी) / 2025 / डी– 1027 दिनांक– 10/6/2025

(भवन निर्माण स्वीकृति पत्र)

मैसर्स सन्तुष्टि हाउसिंग एल.एल.पी.,
जरिये अधिकृत साझेदार,
श्री ललित मेघनानी,
Plot No 46, Vivek Vihar,
Bajaj Nagar Enclave, Jaipur.

विषयः– खसरा नम्बर 726, 727 एवं 728/1 ग्राम श्रीकिशनपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय उपयोग प्रयोजनार्थ संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण भवन मानचित्र समिति (बीपी) की 312वीं बैठक दिनांक 19.11.2024 मे प्रस्तुत किया गया, जिसमें लिये गये निर्णयानुसार भवन निर्माण स्वीकृति निम्नानुसार जारी की जाती है:–

1.	भूखण्ड का क्षेत्रफल	5416.07 व.मी. (साईट प्लान अनुसार) 5328.63 व.मी. (मौका स्थिति अनुसार)	
2.	भूखण्ड के सामने सड़क की चौड़ाई	18 मीटर (60 फीट)	
3.	लीजडीड जारी दिनांक	22.12.2022	**भू–उपयोगः–** आवासीय प्रयोजनार्थ
4.	पुर्नगठित / एकल पट्टा / उप विभाजन	एकल पट्टा (आवासीय प्रयोजनार्थ)	
5.	प्रस्तावित भवन मानचित्रों का प्रयोजन	आवासीय प्रयोजनार्थ संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	
6.	वास्तुविद का नाम एवं पंजीयन क्रमांक	श्री श्रीकृष्ण शर्मा, सी.ए. / 99 / 25451	

अनुमोदित मानदण्डः–

1.	भवन मानचित्र अनुज्ञा अवधि	प्रकरण में दिनांक 27.04.2023 को जारी भवन निर्माण स्वीकृति पत्र अनुसार भवन अनुज्ञा अवधि **दिनांक 27.04.2030 तक** देय होगी।				
2.	सेटबैक	सामने–I (18 Mtr.)	पार्श्व–I	पार्श्व–II	पीछे	
		15.24 मी.	10.67 मी.	10.67 मी.	10.67 मी.	
3.	सकल निर्मित क्षेत्रफल	42,944.29 व.मी.				
4.	बी.ए.आर.	5.76 (30,729.66 व.मी.)				
5.	आच्छादित क्षेत्रफल	33.98 प्रतिशत (1810.73 व.मी.)				
6.	ऊँचाई	0.65 मी. (प्लिन्थ) + 3.0 मी. (स्टिल्ट) +41.30 मी. (प्रथम से 14 तल)=44.30 मी. - (प्लिन्थ छोडकर) + 6 मी. (मशीन रूम / ममटी / वाटर टैंक) कुल 50.95 मी.				
7.	पार्किंग	कार		स्कूटर	बस	कुल ईसीयू
		सरफेस	मैकेनिकल			
		302	–	54	–	320 ईसीयू

तथ्यः–

1.	प्रथम अनुमोदन / संशोधन	प्रथम अनुमोदन
2.	समिति की बैठक संख्या एवं दिनांक	312वीं बैठक दिनांक 19.11.2024

अनापत्ति प्रमाण पत्रः–

1.	अग्निशमन विभाग	अधिवास प्रमाण पत्र आवेदन के समय प्रस्तुत की जानी है।
2.	पर्यावरण विभाग का Consent to operate	अधिवास प्रमाण पत्र आवेदन के समय प्रस्तुत की जानी है।
3.	भारतीय नागरिक उड्डयन विभाग	भूखण्ड पर एयरपोर्ट एन.ओ.सी. दिनांक 05.08.2024 अनुसार 100 मीटर ऊँचाई अनुज्ञेय है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 04.08.2032

Signature valid

Digitally signed by Ankur Dadheech
Designation: Additional Chief town Planner
Date: 2025.06.10 18:22:46 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15445313

		तक है। साईट कॉर्डिनेट्स निम्नानुसार है:–	
		26 47 58.94 N	75 52 25.75 E

सामान्य शर्तें:–

1. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आप उपायुक्त जोन–09, प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेंगे।
2. स्वीकृत मानचित्र मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होंगें।
3. निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण अर्थात अनुमोदित मानचित्र, उपलब्ध पार्किंग की सूचना एवं भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) का नक्शा भी प्रदर्शित (Display) उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जावें।
4. भवन का उपयोग प्रारंभ होने पर एक केयर टेकर की नियुक्ति की जावें जिसके पास भवन का मानचित्र, सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) उपलब्ध रहें। इस प्रकार नियुक्त केयर टेकर के मोबाईल नंबर एवं Land Line Number भी लिये जाकर पुलिस आयुक्त जयपुर महानगर व उपायुक्त जोन को सूचना उपलब्ध करवाई जावें ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किये जा सकें।
5. विकासकर्ता द्वारा भवन के परिसर को स्वीकृत मानचित्र में दर्शित/निर्धारित अनुसार ही उपयोग में लिया जावेगा।
6. भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 10.3.2(x) के अनुसार भवन में अपेक्षित सेवाओं यथा प्रस्तावित जल वितरण प्रणाली, जल मल निकासी प्रणाली, विद्युत सेवाएँ, वातानुकूल सेवाएं आदि से संबंधित मानचित्रों के दो सैट जो कि आवेदित परियोजना की डिजाईन व निर्माण की क्रियान्विति हेतु अनुबंधित किये गये काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट एवं परियोजना के स्ट्रक्चरल इंजीनियर से ही प्रमाणित किये हुये, अधिकतम 90 दिवस की अवधि में उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक होगा।
7. प्रकरण बहुमंजिला भवन होने के कारण भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 10.3.2(xi) के अनुसार आप द्वारा भवन में अग्निशमन संबंधित प्रावधान एन.बी.सी. के अनुसार रखे जाने आवश्यक होंगे जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। भवन निर्माण पूर्ण हो जाने के पश्चात अधिवास प्रमाण–पत्र जारी करने से पूर्व अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. परियोजना में भूखण्ड के क्षेत्रफल, प्रस्तावित सकल निर्मित क्षेत्रफल एवं ऊँचाई अनुसार भवन विनियम 2020 से संबंधित प्रावधान संख्या 10.11 (पर्यावरण संरक्षण हेतु नियम), नियम 10.11.1 (वर्षा जल संग्रहण), 10.11.2 व नविवि के आदेश दिनांक 07.09.2021 (अपशिष्ट जल का शुद्धिकरण एवं रिसाईकिलींग हेतु प्रावधानों की अनुपालना) 10.11.3 (पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण), 10.11.4 (सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल), 10.11.5 (सौर ऊर्जा संयत्र), 10.11.2.5 व 16.3 (सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट), 12.1 (पार्किंग क्षेत्र की पालना), 12.3 (विद्युत आवश्यक की पूर्ति हेतु संबंधित विद्युत वितरण एजेन्सी के प्रावधान), विनियम संख्या 15 (निर्माण कार्य के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया), नियम संख्या 15.5 (भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण) के प्रावधानों की अनुपालना की जानी होगी।
9. भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 12.1.4 (अ) के अनुसार आवश्यक पार्किंग का 10 प्रतिशत EV Charging Facility के प्रावधान की मौके पर सुनिश्चितता की जायेंगी।
10. भवन में RPWD Act 2016, UNCRPD Act 2006 एवं प्रचलित भवन विनियम में विनिर्दिष्ट धाराओं के अनुसार विशेष योग्यजनों के लिए आवश्यक मापदण्ड/सुविधाओं/साईन बोर्ड/दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
11. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 14.12.2022 के अनुसार भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 12.4 के अनुसार भवन में Common Telecom Infrastrcture (CTI) के प्रावधान की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
12. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 10.08.2023 के अनुसार भूखण्ड से लगती हुई सम्पूर्ण सभी सडकों का विकास, फुटपाथ एवं वृक्षारोपण का प्रावधान स्वयं के व्यय पर सुनिश्चित किया जाना होगा।
13. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 10.08.2023 के अनुसार भवन में प्रत्येक लिफ्ट में ए.आर.डी. (Automatic Rescue Device) सिस्टम का प्रावधान रखा जाना होगा।
14. आकाशीय बिजली से बचाव हेतु भवन में Thunder stick (तड़ित चालक) का प्रावधान रखा जाना अनिवार्य होगा।
15. भवन परिसर में आगन्तुकों की पार्किंग उपलब्ध करवाई जाए तथा आगंतुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।
16. निर्मित भवन के प्रवेश द्वार के पास भवन में अनुमोदित व उपलब्ध चार पहिया व दो पहिया वाहनों के पार्किंग

Signature valid

Digitally signed by Ankur Dadheech
Designation: Additional Chief town Planner
Date: 2025.06.10 18:22:46 IST
Reason: Approved

की सूचना का बोर्ड (डिस्पले) लगवाया जावें।

17. यह भवन निर्माण स्वीकृति स्वामित्व का दस्तावेज नहीं हैं।
18. भवन विनियम 2020 के विनियम संख्या 18.3 की अनुपालना में "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।"
19. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगें।
20. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्चा, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
21. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घन्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण–पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
22. भवन मानचित्र इस शर्त के साथ जारी किये जाते है कि आप द्वारा परियोजना के अधिवास प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ अग्निशमन विभाग एवं पर्यावरण विभाग का Consent to operate नगरीय निकाय में जमा कराना होगा, उसके पश्चात ही अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
23. भवन मानचित्र इस शर्त के साथ जारी किये जाते है कि आप द्वारा परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने के पश्चात नियमानुसार पूर्णता एवं अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक हैं।
24. आप द्वारा लेबर सेस की प्रति वर्ष शेष राशि स्वयं के स्तर पर लेबर विभाग में जमा करवाई जानी होगी।
25. मौके पर जविप्रा द्वारा जारी साईट प्लान से कम क्षेत्रफल (87.44 व.मी.) प्राप्त होता हैं। आप द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में मौके पर उपलब्ध नापों अनुसार ही सैटबैक छोड़ते हुये भवन मानचित्र प्रस्तुत किये गये हैं। अतः आप द्वारा मौके पर उपलब्ध कम क्षेत्रफल (87.44 व.मी.) हेतु किसी भी प्रकार का दावा नही किया जावेगा।

विशेष शर्तें:–

1. प्रकरण में दिनांक 27.04.2023 को जारी भवन निर्माण स्वीकृति पत्र अनुसार भवन निर्माण अवधि दिनांक 22.12.2025 तक देय होगी।
2. प्रकरण में दिनांक 27.04.2023 को जारी भवन निर्माण स्वीकृति पत्र अनुसार भवन अनुज्ञा अवधि दिनांक 27.04.2030 तक देय होगी।
3. यह भवन निर्माण स्वीकृति आप द्वारा मांग राशि जमा होने एवं बेटरमेन्ट लेवी हेतु निम्नानुसार पांच उत्तर दिनांकित चैक प्रस्तुत किये जाने के आधार पर दी जा रही है:–

बैंक का नाम	चैक संख्या	राशि	किश्त	दिनांक
AU SMALL FINANCE BANK	000122	58,25,602 /–	प्रथम	11.05.2026
	000123	58,25,602 /–	द्वितीय	11.02.2027
	000125	58,25,602 /–	तृतीय	11.11.2027
	000126	58,25,602 /–	चतुर्थ	11.08.2028
	000127	58,25,602 /–	पंचम	11.05.2029

यदि आप द्वारा प्रस्तुत उत्तर दिनांकित चैक अनादरित (Dishonor) होते हैं तो नियमानुसार ब्याज देय होगा एवं आप द्वारा बेटरमेन्ट लेवी राशि जमा नहीं करवायें जाने पर भवन निर्माण स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेंगी। भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 276वीं बैठक दिनांक 11.08.2023 में लिये गये नीतिगत निर्णयानुसार उत्तर दिनांकित चैक अनादरित (Dishonor) होने पर भविष्य में आपकी किसी भी अन्य परियोजना का जविप्रा द्वारा अनुमोदन नहीं किया जावेगा तथा मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन) द्वारा जविप्रा एक्ट की धारा 32, 33,

Signature valid
Digitally signed by Ankur Dadheech
Designation: Additional Chief town Planner
Date: 2025.06.10 18:22:46 IST
Reason: Approved

34ए एवं अन्य संबंधित धाराओं के प्रावधानानुसार उक्त परियोजना का कार्य को मौके पर रूकवाने हेतु सूचित किया जाकर प्रवर्तन शाखा द्वारा भवन को सीज करने की अविलम्ब कार्यवाही की जावेगी।

4. प्रश्नगत परियोजना पर प्रस्तावित बी.ए.आर. के एवज में विकासकर्ता द्वारा Split Location पर EWS/LIG आवास निम्नानुसार प्रस्तावित किये गये है:—

परियोजना में प्रस्तावित कुल आवासीय बी.ए.आर.:—30,729.66 व.मी.			
प्रस्तावित कुल आवासीय बी.ए.आर. का 5 प्रतिशत = 1536.48 व.मी. x 1.5 गुणा = **2304.72 व.मी.**			
क्र.सं.	Split Location	**आवासों की संख्या**	**क्षेत्रफल**
1.	पुर्नगठित खसरा नम्बर 78/2111, 79, 79/1, 80, 81, 82/2112, 83, 87, 164/2117, 168, 169, 171, 172, 173, 174/1, 175/1, 176/1, ग्राम बीलवा, तहसील सांगानेर, जयपुर। भवन मानचित्र जारी दिनांक—04.06.2019 (आवासीय आरक्षित दर 8,000/— प्रति व.मी.)	85 EWS	2,329.85 व.मी.
	प्रस्तावित कुल EWS आवासों की संख्या व क्षेत्रफल	85 EWS	**2,329.85 व.मी.**

5. आप द्वारा प्रश्नगत परियोजना पर प्रस्तावित बी.ए.आर. की एवज में उपरोक्त Split location पर कुल 85 ई. डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. आवास प्रस्तावित किये गये है। अतः नगरीय विकास एवं आवासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.04.2017 के प्रावधान संख्या 4ए के अनुसार EWS/LIG आवासों का निर्माण कार्य भवन मानचित्र जारी होने की दिनांक से 24 माह की अवधि में पूर्ण किया जाकर सूचना इस प्रकोष्ठ को दी जानी होगी।
6. भवन मानचित्र जारी किये जाने की दिनांक से 60 दिवस की अवधि में उक्त EWS/LIG फ्लैट्स हेतु नियमानुसार आवेदन आमंत्रित किया जाना आवश्यक होगा एवं मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानों में निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए आवंटन किया जायेगा।
7. यह भवन निर्माण स्वीकृति स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है।

संलग्न:— मानचित्रों की प्रति का 1 सेट

भवदीया,
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्रतिलिपि:— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मुख्य नियन्त्रक (प्रर्वतन), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. उपायुक्त जोन—09, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति संलग्न कर लेख है कि भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 10.3.1 (बहुमंजिला भवनों हेतु) के क्रम में आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण (Upgradation) हेतु विकास योजनाऐं तैयार किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।
   साथ ही प्रकरण में भवन निर्माण अवधि दिनांक 22.12.2025 तक देय है। उक्त अवधि में यदि विकासकर्ता द्वारा भू—आच्छादन का 1/5 का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो नियमानुसार पुर्नग्रहण शुल्क की राशि जोन में जमा करवाई जानी होगी।
3. प्रबंध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0, विद्युत भवन जनपथ, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
4. मुख्य अभियन्ता, मुख्यालय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हसनपुरा रोड, रेल्वे हॉस्पीटल के पास, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
5. उपायुक्त राजस्व—प्रथम, नगर निगम, जयपुर को पत्र क्रमांक एफ. 6()/उपा. रा (प्रथम)/जननि/2019/18 दिनांक 08.03.2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
6. चीफ एयरपोर्ट अधिकारी, जयपुर इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

Signature valid
Digitally signed by Ankur Dadheech
Designation: Additional Chief town Planner
Date: 2025.06.10 18:22:46 IST
Reason: Approved

SHEET NO-01

अनुमोदित

उपनगर नियोजक (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

वरिष्ठ नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

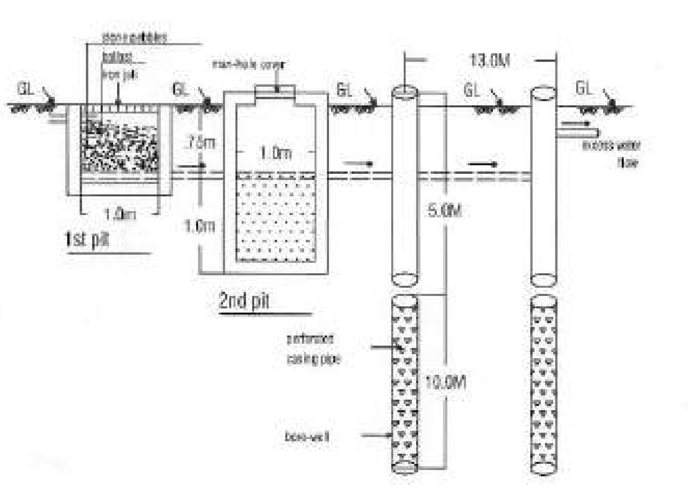

SECTION THROUGH R.W. HARVESTING PITS

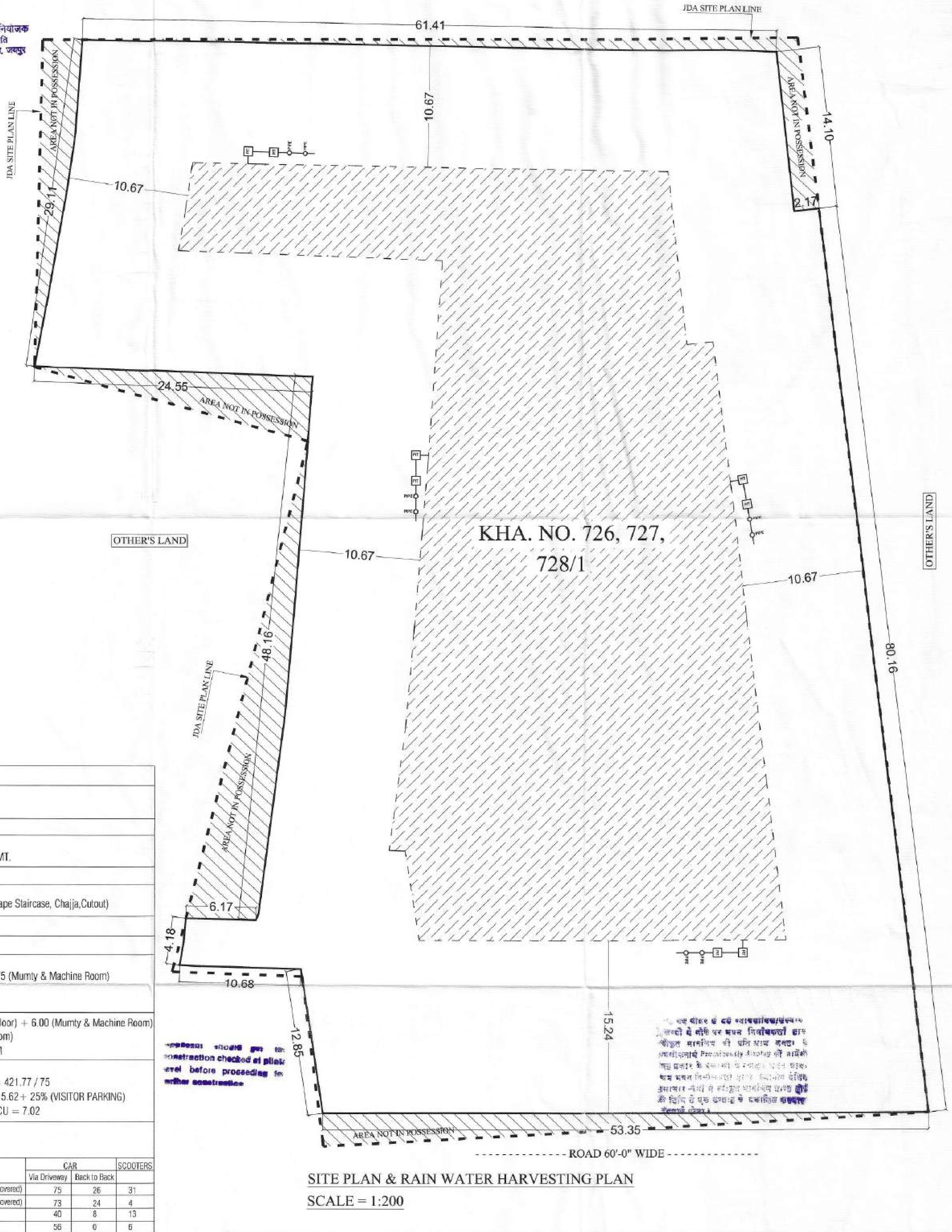

SITE PLAN & RAIN WATER HARVESTING PLAN

SCALE = 1:200

S.NO.	REFERENCE :-
1.	PLOT AREA AS PER SITE PLAN = 5416.07 SQ.MT. PLOT AREA AS PER SITE CONDITION = 5328.63 SQ.MT.
2.	STANDARD B.A.R. = 5328.63 X 1.80 = 9,591.53 SQ.MT.
3.	PROPOSED B.A.R. = 30729.66 SQ.MT. (5.76) PROPOSED ADDITIONAL B.A.R. = (30729.66) - (9591.53) = 21138.13 SQ.MT.
4.	PERMISSABLE GROUND COVERAGE = 35 %
5.	PROPOSED GROUND COVERAGE = 33.98 % (1810.73 SQ. MT.) 2221.71 (Stilt Floor Gross Builtup) - 410.98 (Balcony/ Open Terrace, Fireescape Staircase, Chajja,Cutout)
6.	REQUIRED LANDSCAPE AREA ON SOIL(15 %) = 799.29 SQ.MT.
7.	PROPOSED LANDSCAPE AREA ON SOIL (15.03 %) = 801.23 SQ.MT.
8.	PERMISSABLE HEIGHT AS PER BYE LAWS = PLINTH (1.20) + STILT (8.50) + (1.5 X Road Width + Front Setback) +7.75 (Mumty & Machine Room) = 1.20 + 8.50 + (1.5 x 18 + 15.24) + 7.75 = 1.20 + 8.50 + 42.24 +7.75 = 59.69 M
9.	PROPOSED HEIGHT = PLINTH (0.65)+STILT (3.00) + 41.30 (1st to 14th Floor) + 6.00 (Mumty & Machine Room) = PLINTH (0.65)+ 44.3 +6.00 (Mumty & Machine Room) = 44.95 +6.00 (Mumty & Machine Room) = 50.95 M
10.	E.C.U. REQUIRED :- RESIDENCIAL = 30307.89 / 115 = 263.54+ 10% (VISITOR PARKING) RESIDENCIAL ECU = 289.89 COMMERCIAL = 421.77 / 75 = 5.62+ 25% (VISITOR PARKING) COMMERCIAL ECU = 7.02
	REQUIRED RESIDENCIAL & COMMERCIAL ECU = 289.89+7.02 = 296.91 CARS REQUIRED = 223, SCOOTER REQUIRED = 222
11.	E.C.U. PROPOSED :- CAR = 302 , SCOOTER = 54 (320.00 E.C.U.)
12.	ELECTRIC VEHICLE POINT REQUIRED = 30 ELECTRIC VEHICLE POINT PROPOSED = 30
13.	PROPOSED NUMBER OF FLATS/ UNITS=193
14.	COMMERCIAL AREA REQUIRED MINIMUM 1% OF TOTAL B.A.R. (30729.66) =307.29 SQ.MT. PROPOSED COMMERCIAL AREA = 421.77 SQ.MT. (1.37 %)
15.	FACILITIES REQUIRED ON STILT FLOOR REQUIRED MINIMUM 2% OF B.A.R.(30729.66) =614.59 SQ.MT. PROPOSED FACILITIES ON STILT FLOOR = 621.87 SQ.MT. (2.02 %)
16.	MAXIMUM B.A.R ON STILT FLOOR (30% OF STILT FLOOR AREA)= 30% OF 2221.71 SQ.MT. = 666.51 SQ.MT. PROPOSED B.A.R ON STILT FLOOR =652.54 SQ.MT. (29.37%)

	CAR		SCOOTERS
	Via Driveway	Back to Back	
Lower Basement Floor (Covered)	75	26	31
Upper Basement Floor (Covered)	73	24	4
Stilt Floor(Covered)	40	8	13
OPEN	56	0	6
TOTAL	244	58	54

REQUIRED AFFORDABLE (EWS & LIG) AREA = 5% of PROPOSED B.A.R. = 5% of 30729.66 SQ.MT. = 1536.48 SQ.MT.
PROPOSED AFFORDABLE (EWS & LIG) AREA AT SPLIT LOCATION AREA REQUIRED ACCORDING TO RESERVE PRICE OF SPLIT LOCATION = 1536.48 x 1.5 = 2304.72 SQ.MT. NUMBER OF UNITS AT SPLIT LOCATION = 85 EWS UNITS AREA OF UNITS AT SPLIT LOCATION = 2329.85 SQ.MT.

AREA CALCULATION (AREA IN SQ. MTR.)

S.NO.	FLOOR	BLOCK AREA	CUTOUT	GROSS BUILTUP	FIRE ESCAPE STAIR	SERVICE SHAFT	ARCHITECTURAL ELEMENT/ CHAJJA	LIFT WELL	B.A.R.	FACILITIES	COMMERCIAL
1	LOWER BASEMENT	-	-	3987.91	-	-	-	23.70	-	-	-
2	UPPER BASEMENT	-	-	3987.91	-	-	-	23.70	255.66	-	-
3	STILT FLOOR	2283.05	61.34	2221.71	36.23	-	-	23.70	652.54	621.87	30.67
	GUARD ROOM	-	-	6.58	-	-	-	-	-	-	-
	ELECTRIC SUBSTATION	-	-	42.35							
4	1st FLOOR	2355.33	-	2355.33	36.23	14.23	227.06	23.70	2054.11	-	391.10
5	2nd FLOOR	2266.02	-	2266.02	36.23	14.23	55.91	23.70	2135.95	-	-
6	3rd FLOOR	2266.02	-	2266.02	36.23	14.23	55.91	23.70	2135.95	-	-
7	4th FLOOR	2266.02	-	2266.02	36.23	14.23	55.91	23.70	2135.95	-	-
8	5th FLOOR	2266.02	-	2266.02	36.23	14.23	55.91	23.70	2135.95	-	-
9	6th FLOOR	2266.02	-	2266.02	36.23	14.23	55.91	23.70	2135.95	-	-
10	7th FLOOR	2266.02	-	2266.02	36.23	14.23	55.91	23.70	2135.95	-	-
11	8th FLOOR	2266.02	-	2266.02	36.23	14.23	55.91	23.70	2135.95	-	-
12	9th FLOOR	2266.02	-	2266.02	36.23	14.23	55.91	23.70	2135.95	-	-
13	10th FLOOR	2266.02	-	2266.02	36.23	14.23	55.91	23.70	2135.95	-	-
14	11th FLOOR	2266.02	-	2266.02	36.23	14.23	55.91	23.70	2135.95	-	-
15	12th FLOOR	2266.02	-	2266.02	36.23	14.23	55.91	23.70	2135.95	-	-
16	13th FLOOR	2266.02	-	2266.02	36.23	14.23	55.91	23.70	2135.95	-	-
17	14th FLOOR	2266.02	-	2266.02	36.23	14.23	55.91	23.70	2135.95	-	-
18	STAIR CASE MUMTY/ ARCHITECTURAL ELEMENT SWIMMING POOL	-	-	884.24	-	-	-	-	-	-	-
19	TOTAL	-	-	42944.29	-	-	-	-	30729.66	621.87	421.77

W S N E

SCALE = 1:100

OWNER For Santushti Housing LLP
Partner

PROJECT :-
PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT KHA. NO. 726, 727, 728/1 IN VILLAGE SHRI KISHAN PURA TEH.-SANGANER, JAIPUR

ARCHITECT :-

SPACE GRID
C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG,
BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015
PH-09314918766,0141-4005506 (O)
Email:-info.spacegrid@gmail.com

SHRI KRISHAN
Architect
CA/99/25451

SHEET NO-02

LOWER BASEMENT PLAN WITH CIRCULATION

अनुमोदित

उपनगर नियोजक (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

~~नगर नियोजक~~
~~भवन मानचित्र समिति~~
~~जयपुर विकास प्राधिकरण~~

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

SHRI KRISHAN
Architect
CA/99/25451

For Santushti Housing LLP
Partner

	PROJECT :-	OWNER	ARCHITECT :-
W S N E SCALE = 1:150	PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT KHA. NO. 726, 727, 728/1 IN VILLAGE SHRI KISHAN PURA TEH.-SANGANER, JAIPUR		SPACE GRID C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG, BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR-302015 PH-09314918766,0141-4005506 (O) Email:-info.spacegrid@gmail.com

SHEET NO-03

अनुमोदित

उपनगर नियोजक (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

वरिष्ठ नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

UPPER BASEMENT PLAN WITH CIRCULATION

SHRI KRISHAN
Architect
CA/99/25451

	PROJECT :-	OWNER	ARCHITECT :-
W / S / N / E SCALE = 1:150	PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT KHA. NO. 726, 727, 728/1 IN VILLAGE SHRI KISHAN PURA TEH.-SANGANER, JAIPUR	For Santushti Housing LLP Partner	SPACE GRID C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG, BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR-302015 PH-09314918766,0141-4005506 (O) Email:-info.spacegrid@gmail.com

SHEET NO-04

अनुमोदित

उपनगर नियोजन (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

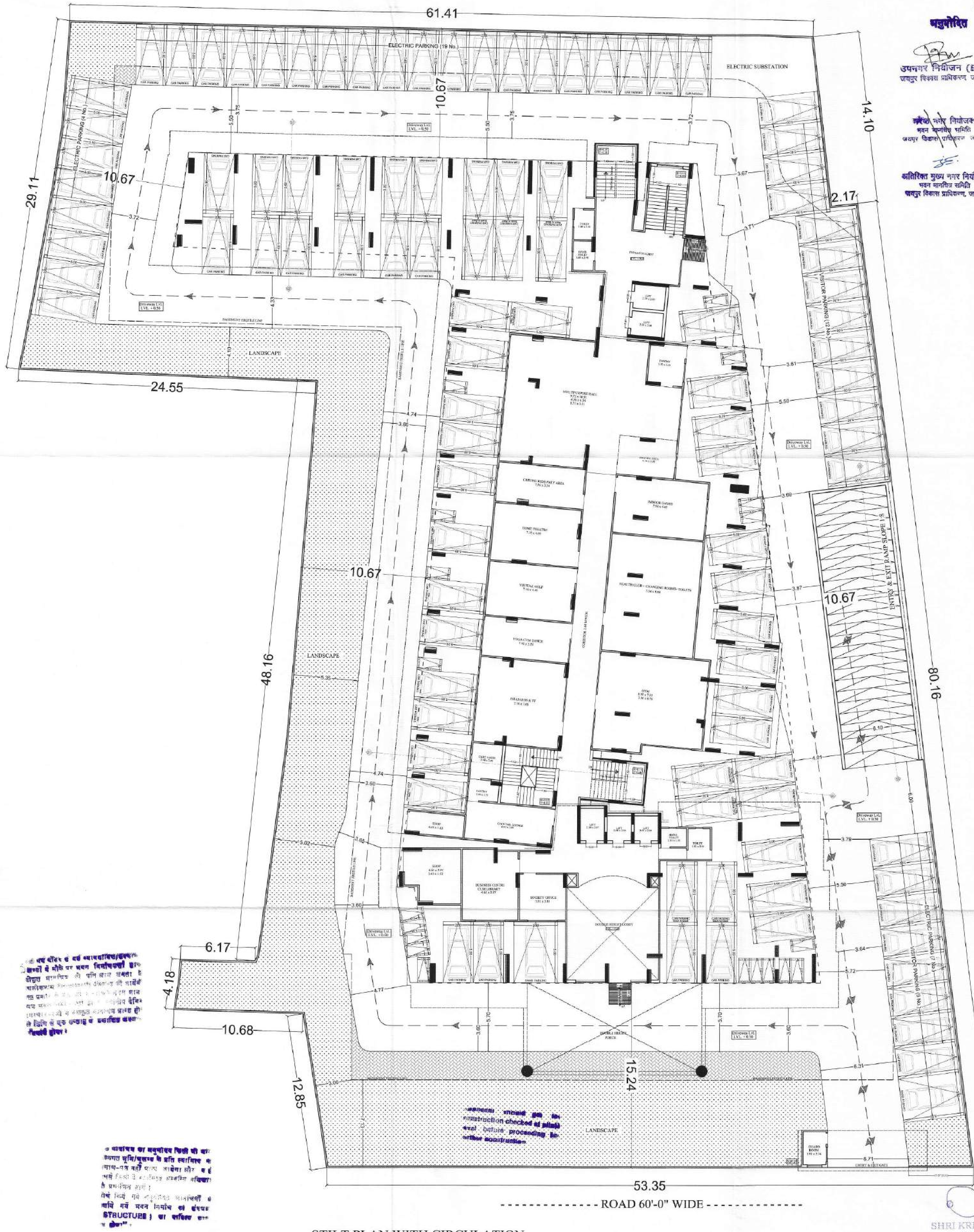

- - - - - - - - - - - - - - ROAD 60'-0" WIDE - - - - - - - - - - - - - -

STILT PLAN WITH CIRCULATION

SHRI KRISHAN
Architect
CA/99/25451

For Santushti Housing LLP

W S N E SCALE = 1:150	PROJECT :- PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT KHA. NO. 726, 727, 728/1 IN VILLAGE SHRI KISHAN PURA TEH.-SANGANER, JAIPUR	OWNER Partner	ARCHITECT :- SPACE GRID C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG, BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR-302015 PH-09314918766,0141-4005506 (O) Email:-info.spacegrid@gmail.com

SHEET NO-05

अनुमोदित

उपनगर नियोजक (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

construction checked at plinth level before proceeding for further construction

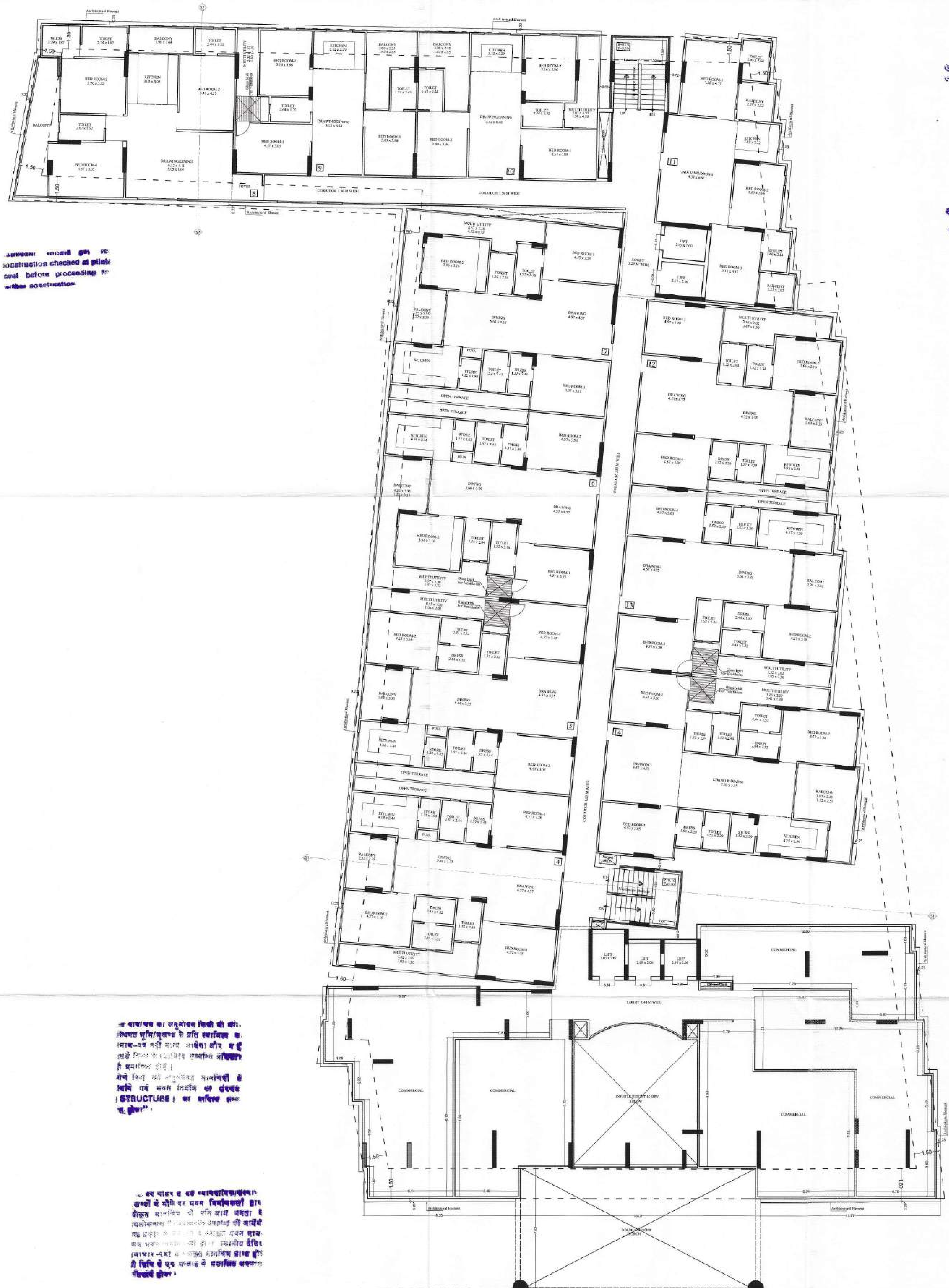

1st FLOOR PLAN

ROAD 60'-0" WIDE

SCALE = 1:125

PROJECT :-

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT KHA. NO. 726, 727, 728/1 IN VILLAGE SHRI KISHAN PURA TEH-SANGANER, JAIPUR

ARCHITECT :-

SPACE GRID
C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG, BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR-302015
PH-09314918786,0141-4005506 (O)
Email:-info.spacegrid@gmail.com

SHRI KRISHAN
Architect
CA/99/25451

SHEET NO-06

अनुमोदित

उपनगर नियोजक (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

[illegible]
STRUCTURE) [illegible]

[illegible]

2nd FLOOR PLAN

approval should get its construction checked at plinth level before proceeding in further construction.

OWNER
For Santushti Housing LLP
Partner

SCALE = 1:125

PROJECT :-
PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT KHA. NO. 726, 727, 728/1 IN VILLAGE SHRI KISHAN PURA TEH.-SANGANER, JAIPUR

ARCHITECT :-
SPACE GRID
C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG, BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR-302015
PH-09314918766,0141-4005506 (O)
Email:-info.spacegrid@gmail.com

SHRI KRISHAN
Architect
CA/99/25451

SHEET NO-07

अनुमोदित

उपनगर नियोजन (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

3rd to 13th FLOOR TYPICAL PLAN

construction checked at plinth level before proceeding for further construction

OWNER

For Santushti Housing LLP

Partner

SCALE = 1:125

PROJECT :-

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT KHA. NO. 726, 727, 728/1 IN VILLAGE SHRI KISHAN PURA TEH-SANGANER, JAIPUR

ARCHITECT :-

SPACE GRID

C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG,
BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015
PH-09314918766,0141-4005506 (O)
Email:-info.spacegrid@gmail.com

SHRI KRISHAN
Architect
CA/99/25451

SHEET NO-08

अनुमोदित

उपनगर नियोजन (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

constraction checked at plinth
level before proceeding to
further construction

14th FLOOR PLAN

SCALE = 1:125

OWNER
For Santushti Housing LLP
Partner

PROJECT :-
PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT KHA. NO. 726, 727, 728/1 IN VILLAGE SHRI KISHAN PURA TEH.-SANGANER, JAIPUR

ARCHITECT :-

SPACE GRID
C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG,
BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015
PH-09314918766,0141-4005506 (O)
Email:-info.spacegrid@gmail.com

SHRI KRISHAN
Architect
CA/99/25451

SHEET NO-09

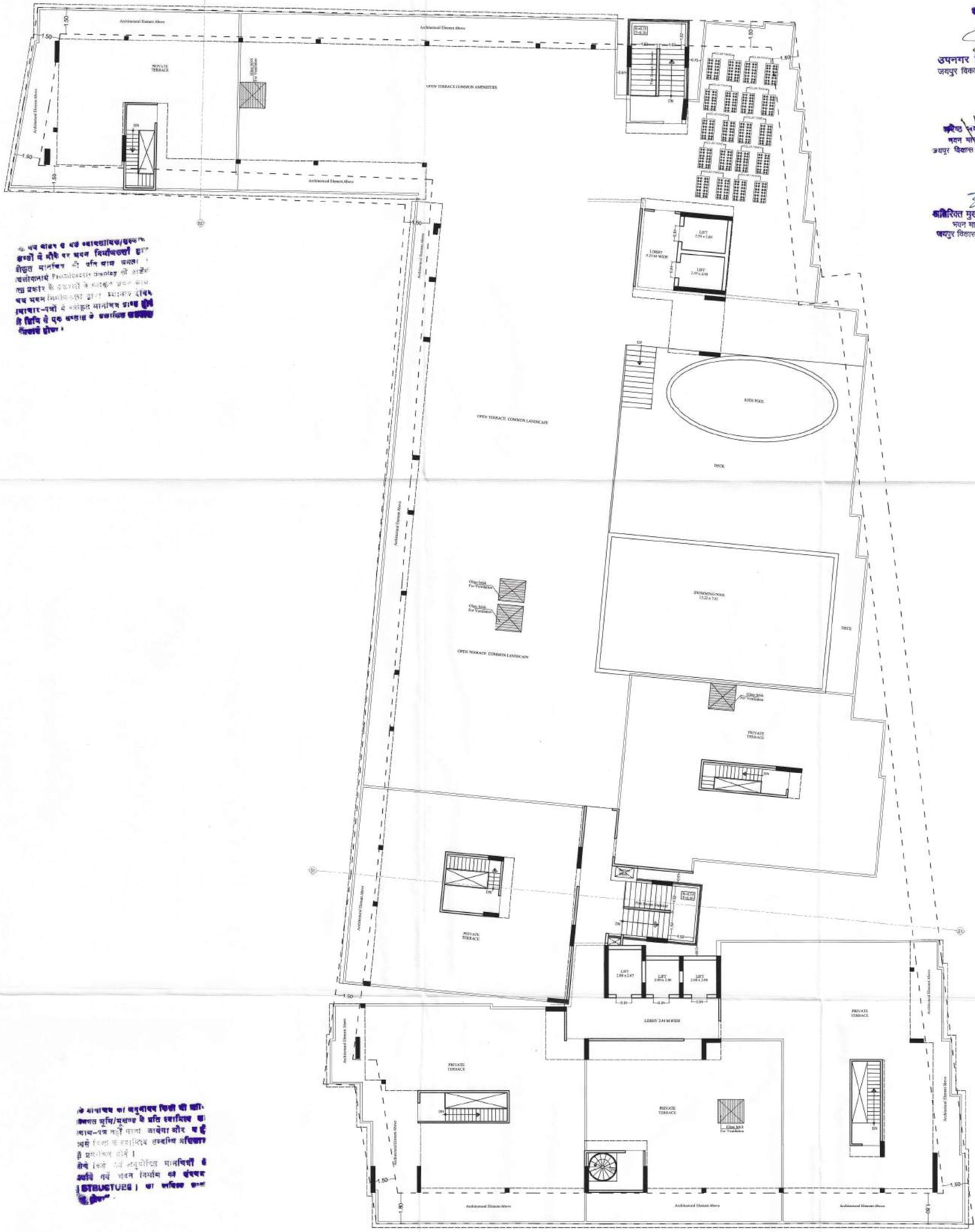

TERRACE PLAN

applicant should get the construction checked at plinth level before proceeding to further construction

अनुमोदित

उपनगर नियोजक (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

वरिष्ठ नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

W S N E

OWNER
For Santushti Housing LLP
Partner

SCALE = 1:125

PROJECT :-
PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT KHA. NO. 726, 727, 728/1 IN VILLAGE SHRI KISHAN PURA TEH.-SANGANER, JAIPUR

ARCHITECT :-
SPACE GRID
C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG, BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR-302015
PH-09314918766,0141-4005506 (0)
Email:-info.spacegrid@gmail.com

SHRI KRISHAN
Architect
CA/99/25451

अनुमोदित

उपनगर नियोजन (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

वरिष्ठ नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

Applicant should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction

SHEET NO-10

[illegible] STRUCTURES [illegible]

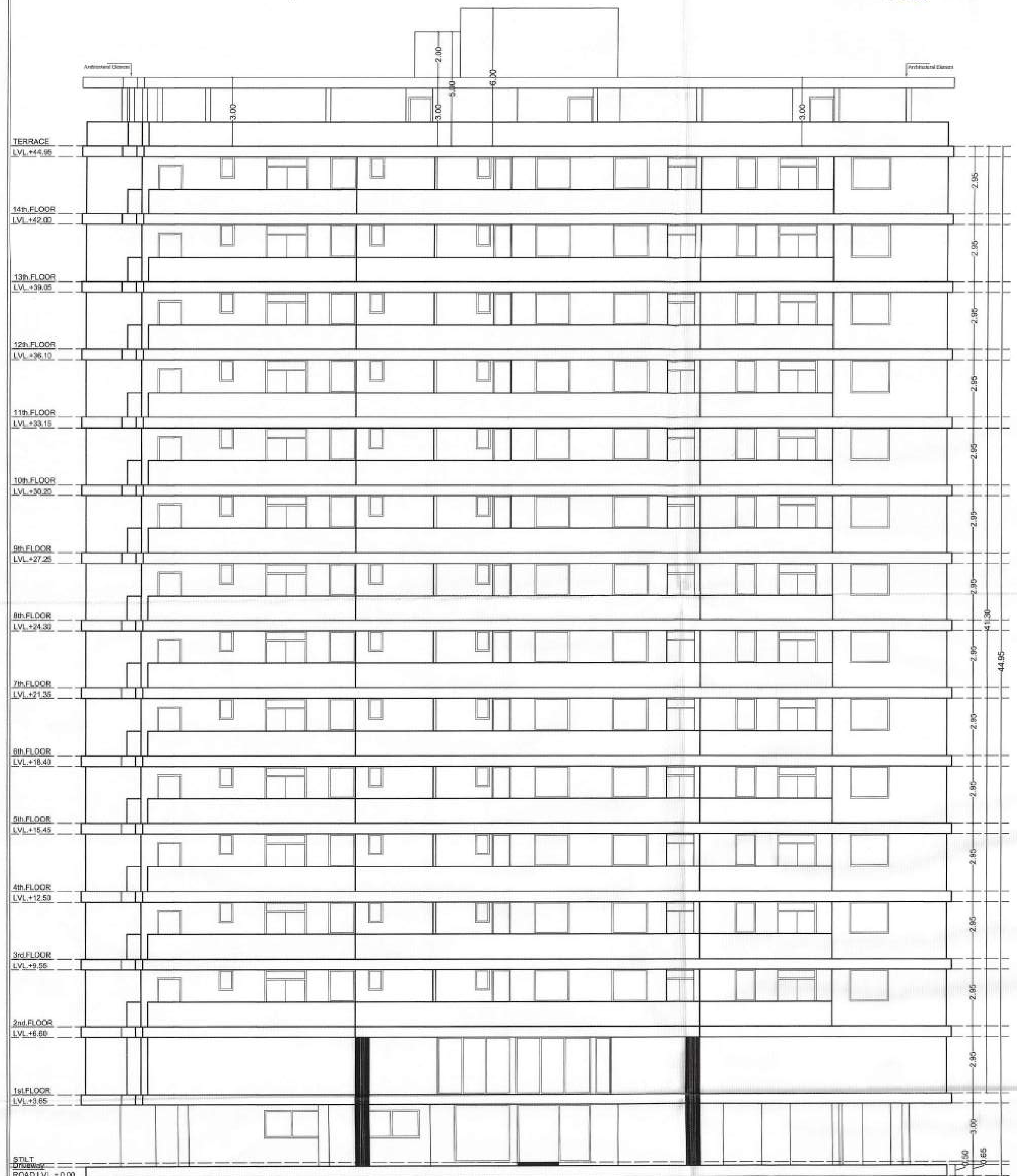

EAST SIDE ELEVATION

NORTH SIDE ELEVATION

[illegible]

SHRI KRISHAN
Architect
CA/99/25451

SCALE = 1:125

For Santushti Housing LLP
Partner

PROJECT :-	OWNER	ARCHITECT :-
PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT KHA. NO. 726, 727, 728/1 IN VILLAGE SHRI KISHAN PURA TEH.-SANGANER, JAIPUR		SPACE GRID C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG, BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR-302015 PH-09314918766,0141-4005506 (O) Email:-info.spacegrid@gmail.com

SHEET NO-11

अनुमोदित

उपनगर नियोजन (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

वरिष्ठ नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

applicant should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction

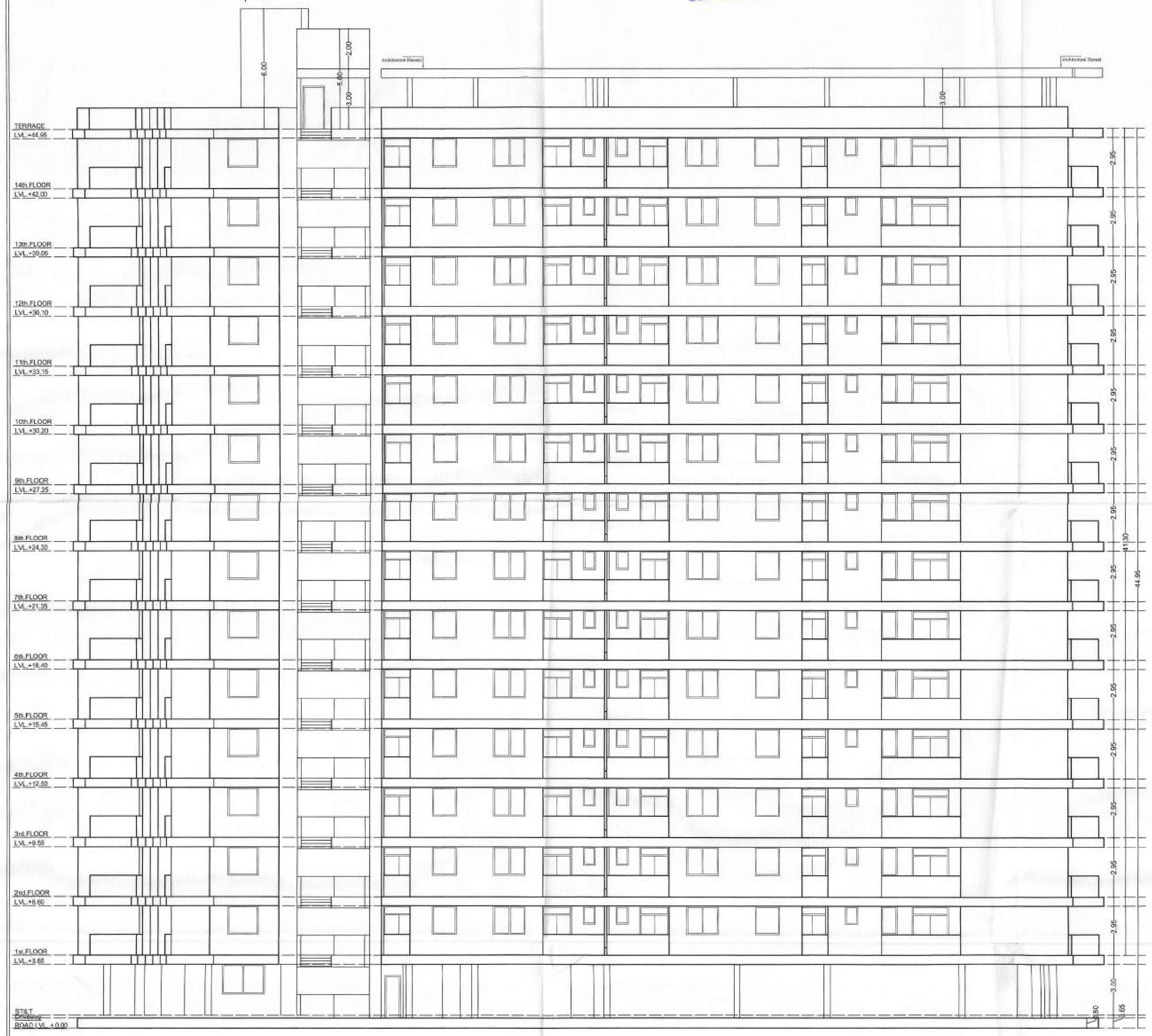

WEST SIDE ELEVATION

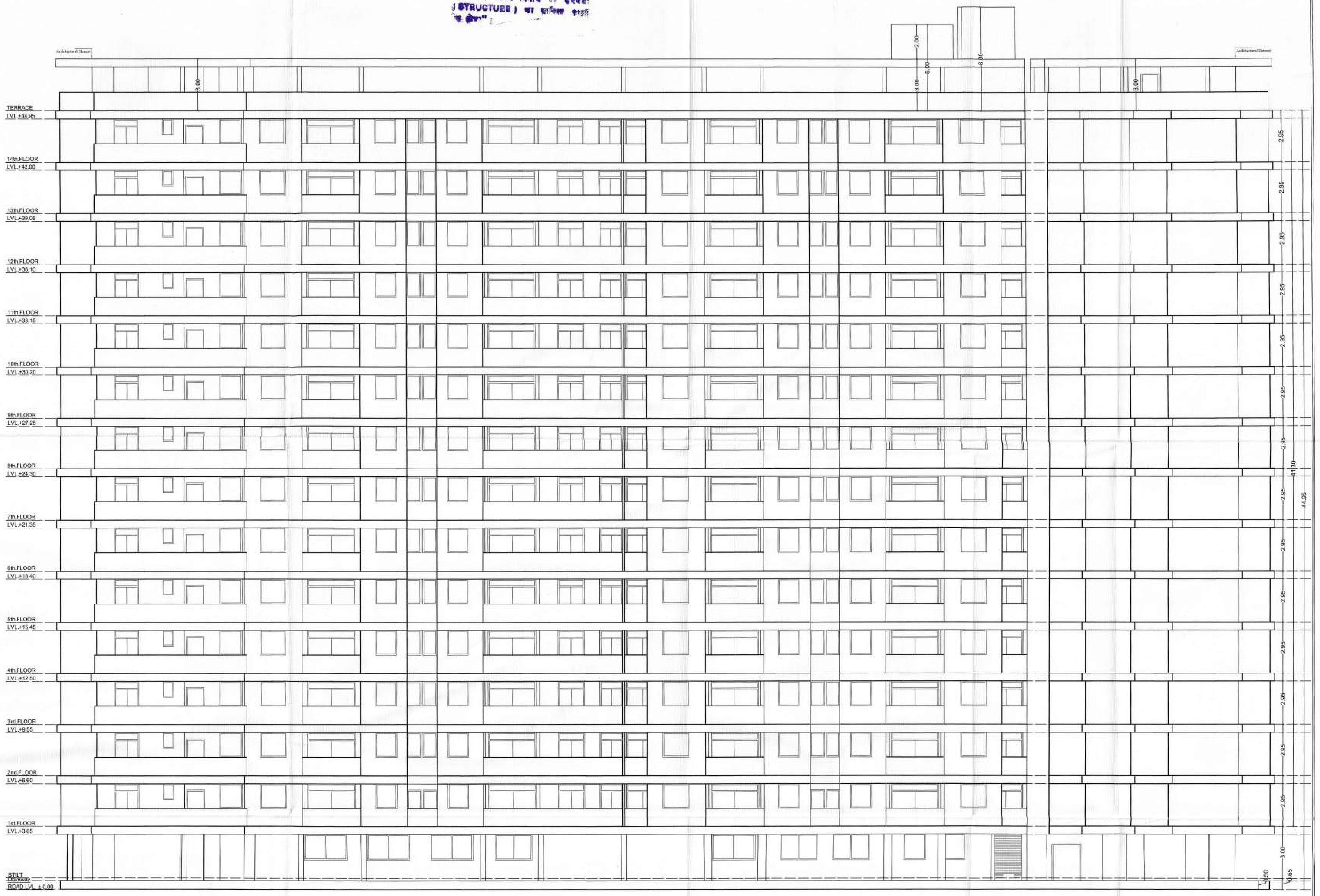

SOUTH SIDE ELEVATION

SHRI KRISHAN
Architect
CA/99/25451

SCALE = 1:125

PROJECT :-	OWNER	ARCHITECT :-
PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT KHA. NO. 726, 727, 728/1 IN VILLAGE SHRI KISHAN PURA TEH.-SANGANER, JAIPUR	For Santushti Housing LLP Partner	SPACE GRID C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG, BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR-302015 PH-09314918766,0141-4005506 (O) Email:-info.spacegrid@gmail.com

SHEET NO-12

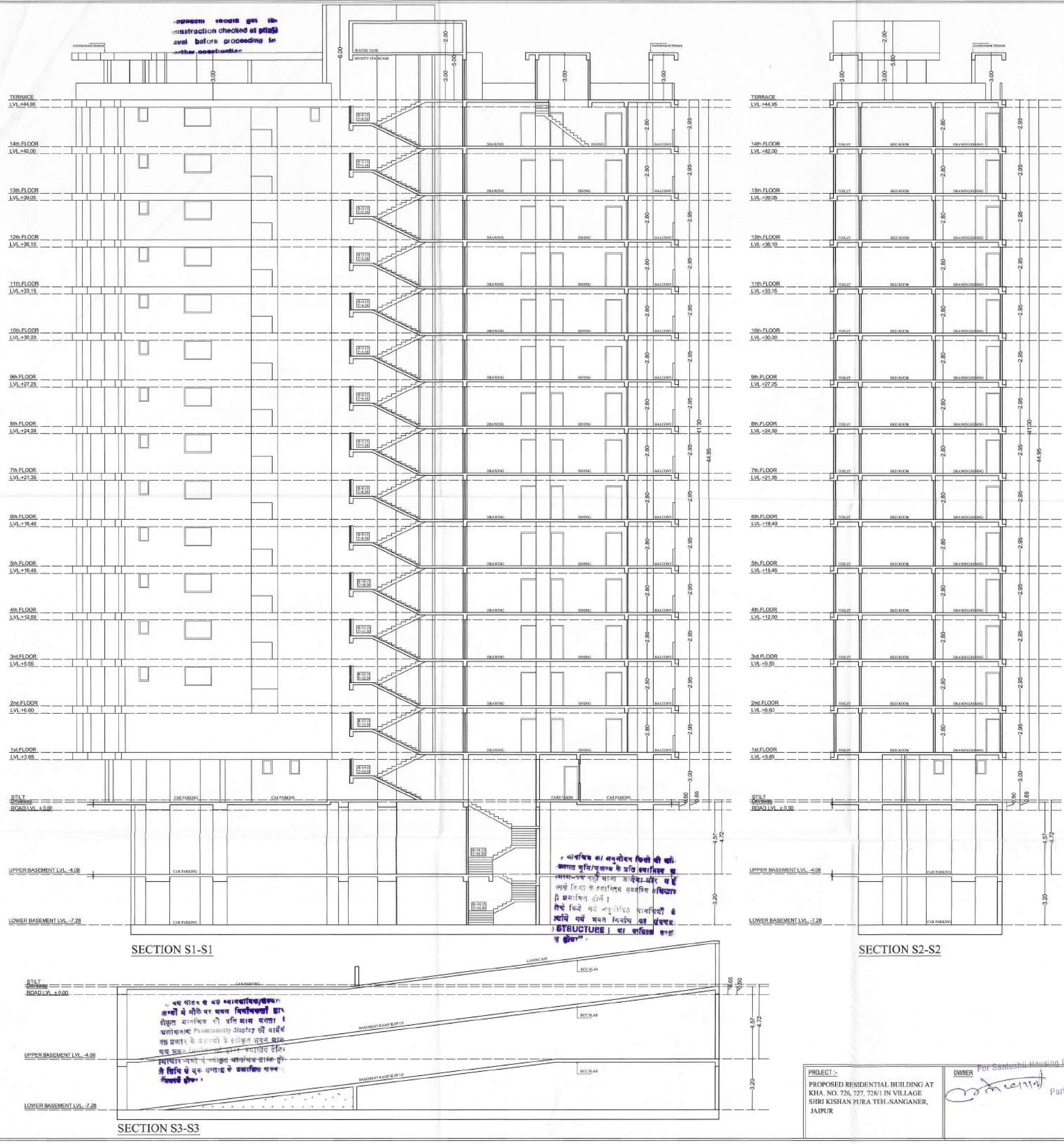

अनुमोदित

उपनगर नियोजन (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

वरिष्ठ नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

SHRI KRISHAN
Architect
CA/99/25451

SCALE = 1:125

PROJECT :-	OWNER	ARCHITECT :-
PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT KHA. NO. 726, 727, 728/1 IN VILLAGE SHRI KISHAN PURA TEH.-SANGANER, JAIPUR	For Santushi Housing LLP Partner	SPACE GRID C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG, BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR-302015 PH-09314918766,0141-4005506 (O) Email:-info.spacegrid@gmail.com